उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 14 | 16-31 जुलाई 2023 | ₹ 20/-

हरियाणा में व्यापक पैमाने पर हिंसा

- मोहर्रम के मौके पर अनेक स्थानों पर शिया-सुन्नी दंगे
- ब्रिटेन में इस्लामिक प्रचारक आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार
- नाइजर में सैनिक क्रांति
- अहमदियों को मुसलमान न मानने पर उभरा नया विवाद

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

हरियाणा में व्यापक पैमाने पर हिंसा 04
मोहर्रम के मौके पर अनेक स्थानों पर शिया-सुन्नी दंगे 09
अहमदियों को मुसलमान न मानने पर उभरा नया विवाद 12
मस्जिदों के नाम पर जनता को भड़काने का प्रयास 14
विपक्षी एकता के पक्ष में उर्दू अखबारों का अभियान 16

विश्व

ब्रिटेन में इस्लामिक प्रचारक आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार 22
ब्रिटेन में अवैध प्रवासन को रोकने के लिए कानून 22
यूरोप के दो देशों में फिर से कुरान का अपमान 24
पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 50 से अधिक मरे 26
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की मांग 27

पश्चिम एशिया

नाइजर में सैनिक क्रांति 28
इजरायल में न्यायिक सुधार विधेयक पारित 30
सूडान में फिर से गृहयुद्ध भड़का 32
ईरान पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी सेना तैनात 33
ईरान द्वारा इजरायली जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा 34
ईरान में हिजाब को लागू करने का नया अभियान 35

सारांश

देश की राजधानी दिल्ली के निकट स्थित मेवात क्षेत्र में जिस तरह से हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान सुनियोजित तरीके से हमले किए गए, उसे नजरअंदाज करना देश के लिए घातक होगा। हरियाणा सरकार के गुप्तचर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीवी चैनल पर इस बात की पुष्टि की है कि गुप्तचर विभाग ने इस बात की सूचना राज्य सरकार को दी थी कि शरारती तत्व सावन महीने में आयोजित इस धार्मिक यात्रा में उपद्रव मचाने की तैयारी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद राज्य सरकार ने यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं की। यहां तक कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो पुलिस बल तैनात किए गए थे, उनमें आधे से ज्यादा होम गार्ड थे और वे आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैश भी नहीं थे।

विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेन्द्र जैन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यात्रियों पर हमला करने वाले जिहादी अस्त्र-शस्त्रों से लैश थे और उन्होंने भारी मात्रा में पत्थर भी जमा कर रखे थे। इन जिहादियों ने श्रद्धालुओं को सुनियोजित ढंग से घेरकर उन्हें हिंसा का निशाना बनाया। उनकी गोली से दो होम गार्ड मौके पर ही मारे गए। दंगाईयों ने साइबर क्राइम थाने को भी फूंक डाला और 400 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया। ताजा जानकारी के अनुसार इस हिंसा में कम-से-कम सात लोग मारे जा चुके हैं। उर्दू प्रेस ने प्रारंभ में तो इस घटना पर चुप्पी साधे रखा। मगर जब नूंह की घटना की प्रतिक्रिया राज्य के अन्य हिस्सों में शुरू हुई तो उसके स्वर मुखर हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और इन दंगों के चलते जिन लोगों को क्षति हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।

उर्दू प्रेस केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार अभियान चला रहा है और विपक्षी दलों के नवगठित गठबंधन आई.एन.डी.आई.ए., अर्थात् इंडिया की गतिविधियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है।

इस साल मोहर्रम के मौके पर ताजियों के जुलूस निकालने के कारण देश के अनेक भागों में शिया और सुन्नियों के बीच खूनी झड़पें हुईं। हालांकि उर्दू प्रेस ने इन झड़पों पर पर्दा डालने का प्रयास किया और उसे दो गुटों के बीच की झड़प का नाम दिया। मोहर्रम के दौरान जुलूस में हुई दुर्घटनाओं के कारण 12 लोगों की मौत हो गई।

इन दिनों सुन्नी आतंकी संगठन आईएसआईएस पाकिस्तान में खून की होली खेल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के एक सम्मेलन में हुए आत्मघाती हमले में कम-से-कम 70 लोग मारे गए। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है। इसके प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के भारत के दारूल उलूम देवबंद से बहुत ही नजदीकी रिश्ते हैं। वे अक्सर देवबंद आते-जाते रहते हैं। पाकिस्तान सरकार ने प्रारंभ में इस्लामिक आतंकियों को जमकर प्रोत्साहन दिया और उन्हें भारत के खिलाफ लगातार इस्तेमाल किया। अब यही इस्लामिक आतंकी पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गए हैं।

अफ्रीका के मुस्लिम बहुल देश नाइजर में सेना ने सिविलयन सरकार का तख्ता पलट दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है। नाइजर के सेना प्रमुख अब्दुर्रहमान तियानी ने राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौम को उनके परिवार सहित गिरफ्तार करके खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि उनका समर्थन अपदस्थ राष्ट्रपति को जारी रहेगा।

हरियाणा में व्यापक पैमाने पर हिंसा

इंकलाब (4 अगस्त) के अनुसार हरियाणा के नूंह में हत्या के आरोप में 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नूंह में भड़के सांप्रदायिक दंगे हरियाणा के सात जिलों में फैल गए हैं और इनमें छिटपुट घटनाएं होने की सूचना है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि सात स्थानों पर धार्मिक स्थलों पर हमले किए गए हैं और उन्हें क्षति पहुंचाई गई है। इस संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नूंह के एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि हिंसा के बाद पुलिस की छापेमारी जारी है और कई आरोपियों को पकड़ा गया है। स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्य के चार जिलों में अर्धसैनिक संगठनों की भी टुकड़ियां तैनात की गई हैं। पुलिस ने विभिन्न थानों में 265 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोहना, मानेसर और पटौदी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

गृह सचिव के अनुसार नूंह की हिंसा की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की आठ टीमें और स्पेशल जांच की तीन टीमें गठित की गई हैं। नूंह, गुरुग्राम, पलवल, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ में धारा 144 लागू की गई है। समाचारपत्र के अनुसार हिसार में हिंदू संगठनों ने नूंह में हुई हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाला। कहा जाता है कि इस विरोध प्रदर्शन में एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ नारे लगाए गए। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में मुस्लिम संगठनों ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस एकपक्षीय कार्रवाई कर रही है। पकड़े गए लगभग सभी लोग मुसलमान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा के कई भागों से मुसलमानों का पलायन शुरू हो गया है। पलवल, बादशाहपुर,

धौज, नाल्हर और तावडू में वातावरण तनावपूर्ण है। पुलिस की छापेमारी के चलते अधिकांश मुस्लिम परिवार अपने घरों में ताले लगाकर दूसरी जगहों पर चले गए हैं।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की है कि भाजपा की सरकार दंगों को रोक पाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता की जांच उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने इन दंगों के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है और कहा है कि आने वाले चुनाव में बहुसंख्यकों के वोट प्राप्त करने के लिए पुलिस मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में महाभारतकालीन पांच शिव मंदिरों की यात्रा करने की पुरानी परंपरा है। इस बार इस यात्रा में लगभग 25 हजार लोग शामिल हुए थे। आलेक कुमार ने कहा कि यात्रा शुरू हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि उन पर दंगाईयों ने गोलियों और पत्थरों से हमला कर दिया। जब लोगों ने भागने का प्रयास किया तो पीछे से भी उन पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तीन से चार हजार लोगों को बचाकर नाल्हर महादेव मंदिर में वापस ले आए। मंदिर पर भी सशस्त्र दंगाईयों ने हमला कर दिया, जिसमें दो लोग मारे गए और 250 के लगभग वाहनों को जला दिया गया। बाद में यात्रा में भाग लेने वालों को पुलिस थानों और चौकियों में शरण दी गई। उपद्रवियों ने मंदिरों और पुलिस थानों पर भी हमले किए। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेन्द्र जैन ने कहा है कि यह दंगे पूर्वनियोजित थे और इनकी कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मेवात के पूरे क्षेत्र को सील करके एक-एक जिहादी को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि राष्ट्र विरोधी तत्वों का उन्मूलन किया जा सके। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह आरोप लगाया है कि दंगाईयों ने यात्रा में भाग लेने वाली दर्जनों महिलाओं और किशोरियों को वाहनों के भीतर से घसीटा और उन्हें नजदीक के खेतों और फार्म हाउसों में ले गए। वहां उनके साथ क्या हुआ, इस पर कोई भी पीड़ित महिला बदनामी और शर्म के कारण मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है।

रोजनामा सहारा (3 अगस्त) के अनुसार नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा पर हुए हमले के बाद भड़के दंगों में कम-से-कम सात लोग मारे गए हैं। नूंह में कर्फ्यू अभी तक जारी है। पलवल, सोहना, होडल और गुरुग्राम में अभी तनाव का माहौल है। हरियाणा के छह जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नूंह में हुई हिंसा के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली-एनसीआर के 23 क्षेत्रों में रैलियों का आयोजन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्व हिंदू परिषद की रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को ठुकरा दिया है। यह याचिका वरिष्ठ वकील सी.यू. सिंह ने दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, हरियाणा

और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए हैं। इस याचिका पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान न तो उत्तेजक भाषण दिए जाने चाहिए और न ही किसी प्रकार की हिंसा होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों के द्वारा प्रदर्शनों की निगरानी और उनकी वीडियोग्राफी की जाए। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश देश के सभी राज्यों पर लागू होगी।

विश्व हिंदू परिषद ने इस हिंसा में मरने वालों के परिवारजनों के लिए एक करोड़ रुपये और घायलों के लिए बीस लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। वीएचपी ने यह भी मांग की है कि जिन लोगों की कारें जलाई गई हैं उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य की आबादी दो करोड़ 70 लाख है। जबकि पुलिस की संख्या मात्र 60 हजार है। इसलिए हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि यात्रा के प्रबंधकों ने जिला प्रशासन को यात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। बताया जाता है कि प्रशासन को गुप्तचर सूत्रों ने इस यात्रा के दौरान हिंसा होने की संभावना के बारे में जानकारी दी थी। मगर इसके बावजूद प्रशासन ने उचित कदम नहीं उठाया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि यात्रा में भाग लेने वाले कई लोगों के पास तलवारें और अन्य हथियार थे।

समाचारपत्र का कहना है कि मेवात क्षेत्र में भड़की इस हिंसा के कारण अन्य प्रदेशों से आए मजदूर परिवार सहित अपने घरों को लौट रहे हैं। बताया जाता है कि अभी तक तीन हजार से अधिक मजदूर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल वापस लौट चुके हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि जिस तरह से पत्थर जमा करने और गोलियां चलाने से हिंसा भड़की हैं, उससे प्रतीत होता है कि ये दंगे पूर्वनियोजित थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक विशेष पुलिस दल गठित किया है जो इस बात की जांच करेगा कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है और हिंसा को किसने भड़काया है? इस दल में अभी आठ सौ कर्मचारियों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इंकलाब (2 अगस्त) के अनुसार हरियाणा के नूंह में हिंसा की जो ज्वाला 31 जुलाई को भड़की थी वह राज्य के अनेक नगरों में फैल चुकी है, जिनमें गुरुग्राम, बादशाहपुर, पलवल, होडल, सोहना, फरीदाबाद और रेवाड़ी शामिल हैं। वीएचपी के नेता डॉ. सुरेन्द्र जैन ने घोषणा की है कि मेवात को हिंदुओं का कब्रिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मेवात मिनी पाकिस्तान बन गया है। दंगाईयों द्वारा अब तक 200 से अधिक गाड़ियों को फूंक डाला गया है। वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि नूंह और उसके आसपास जो कुछ हुआ है, उसकी योजना पहले से बनाई जा रही थी और इसके तार नासिर और जुनैद हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे मोनू मानेसर का हाथ है, जिसे अभी तक राज्य सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये दंगे करवाए गए हैं।

सियासत (2 अगस्त) ने यह दावा है कि भाजपा शासित राज्यों में खुलेआम हत्या और दंगों के रूझान में तेजी आई है। यह वातावरण इसलिए बनाया जा रहा है ताकि पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में बहुसंख्यक समाज के वोटों को प्राप्त किया जा सकें। हरियाणा सरकार ने यह भी

फैसला किया है कि रैपिड एक्शन फोर्स का एक केंद्र नूंह में स्थापित किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोका जा सके। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि सेकेंड इंडिया रिजर्व बटालियन का एक केंद्र मेवात में स्थापित किया जाए। इस बटालियन में एक हजार फौजी होंगे, ताकि भविष्य में वे ऐसी घटनाओं को कारगर ढ़ंग से रोक सकें।

इत्तेमाद (4 अगस्त) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार दंगों को रोकने में विफल रही है। समाचारपत्र ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रशासन को असली दंगाईयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और निर्दोष मुस्लिम नौजवानों को झूठे मुकदमों में न फंसाया जाए।

हमारा समाज (4 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हरियाणा सरकार दंगाईयों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने में विफल रही है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 अगस्त) ने अपने संपादकीय में नूंह में हुए दंगों का उल्लेख तक नहीं किया। जबकि अन्य स्थानों पर मस्जिदों पर हुए हमलों और मुसलमान मजदूरों के पलायन पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र का कहना है कि हरियाणा में जिस तरह से हिंसा भड़की है उससे हरियाणा के मंत्री खुद बौखलाए हुए हैं और एक दूसरे के विपरीत बयान दे रहे हैं। हरियाणा में जो कुछ हुआ वह मुट्ठी भर लोगों की शरारत थी और जनता ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। दंगों की आग राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में भी फैल गई है। भिवाड़ी में अनेक दुकानों को लूटा गया और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। राजस्थान पुलिस ने इस संबंध में दो दर्जन दंगाईयों को गिरफ्तार किया है।

सियासत (2 अगस्त) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि हरियाणा के मेवात क्षेत्र में जिस तरह से दंगा भड़का है उससे साफ है कि ये दंगे पूर्वनियोजित थे और इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर लादने की कोशिश हो रही है। सरकार का खरीदा हुआ गोदी मीडिया सच्चाई को उजागर करने की बजाय मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। समाचारपत्र ने यह भविष्यवाणी भी की है कि इस तरह की घटनाएं चुनाव से पूर्व देश के अन्य भागों में भी हो सकती हैं, ताकि सत्तारूढ़ दल बहुसंख्यक समाज के वोट बटोर सके।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 अगस्त) ने अपने संपादकीय में गुरुग्राम की एक मस्जिद के नायब इमाम की हत्या का जिक्र करते हुए कहा है कि नूंह, गुरुग्राम और सोहना आदि स्थानों पर जो हिंसा का नंगा नाच हुआ है इसके कुसूरवार कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि हरियाणा के रहने वाले थे। यह वह भीड़ है जो दंगे करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। अगर इसे कातिल भीड़ कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। समाचारपत्र ने

कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों को जीतने के लिए ये दंगे भड़काए जा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इन दंगों को गहरी साजिश बताया है। सवाल यह है कि किसने इन दंगों की योजना बनाई थी और साजिश रचने वाले कौन थे? अभी तक जो खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है कि पुलिस की कार्रवाई एकतरफा है। हकीकत यह है कि भाजपा शासित राज्यों की पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण रहता है और वह केवल मुसलमानों को ही अपना निशाना बनाती है। विश्व हिंदू परिषद ने जो ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली थी, उसमें लोग हथियार क्यों लिए हुए थे? सच्चाई यह है कि इन स्थानीय मुसलमानों को जानबूझकर उकसाया गया। सवाल यह है कि क्या प्रशासन मुसलमानों को उकसाने वालों पर कोई कार्रवाई करेगा?

टिप्पणी: मेवात और वहां के रहने वाले मेवों के बारे में देश के अधिकांश लोग भलीभांति नहीं जानते। इसलिए उनकी पृष्ठभूमि पर कुछ प्रकाश डालना भी जरूरी है। मेवात का क्षेत्र तीन राज्यों हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मेवात क्षेत्र की आबादी तीस से पैंतीस लाख बताई जाती है, जिनमें से 80 प्रतिशत मुसलमान हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हरियाणा का नूंह जिला शामिल है, जिसे 2005 में फरीदाबाद, गुरुग्राम और नारनौल जिलों के कुछ क्षेत्रों को जोड़कर बनाया गया था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के तीन जिले अलवर, भरतपुर और दौसा भी मेवात में शामिल माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश का मथुरा और अलीगढ़ का कुछ भाग भी मेवात का हिस्सा माना जाता है। जो राजपूत जातियां इस क्षेत्र में आबाद हैं, उनमें गोरवाल, चौहान, राठौर आदि प्रमुख हैं। इन्होंने दिल्ली में स्थापित मुस्लिम सुल्तानों के शासन का डटकर मुकाबला किया था। तत्कालीन इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में कहा गया है कि ये राजपूत दिल्ली पर हमला करके उसके बाहरी क्षेत्रों में लूटपाट मचाते थे। एक बार उन्होंने राजधानी को जल आपूर्ति करने वाले हौजखास पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण राजधानी के निवासियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने इन शरारती तत्वों के उन्मूलन के लिए एक बड़ा सैनिक अभियान चलाया और मेवात के लोगों को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया। इस अभियान में कम-से-कम 40 हजार राजपूत मारे गए। उनकी महिलाओं और बच्चों को जबरन मुसलमान बनाया गया। यही लोग मेव कहे जाते हैं।

खास बात यह है कि इस्लाम कबूल करने के बावजूद इन मेवों ने अपनी प्राचीन संस्कृति को नहीं त्यागा। 1920 तक इन लोगों के नाम हिंदुओं जैसे होते थे। ये नियमित रूप से मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी करते थे। इन्होंने शरिया कानूनों को कभी स्वीकार नहीं किया और विरासत या अन्य मामलों में हिंदुओं के कानूनों का ही पालन किया। ये आमतौर पर गोमांस नहीं खाते थे और मुसलमानों के विपरीत अपने नजदीकी संबंधियों में शादी-विवाह नहीं करते थे। इनमें हिंदुओं की तरह ही मां और पिता के गोत्र में वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए जाते थे। आमतौर पर ये नमाज अदा करने में भी रुचि नहीं रखते थे। यही कारण है कि उस समय इस क्षेत्र में मस्जिदें नहीं हुआ करती थीं। मेवात का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। यह भी कहा जाता है कि राणा सांगा ने जब बाबर से मुकाबला किया तो उनके सेनापति हसन खान मेवाती थे।

साल 1926 में तब्लीगी जमात ने मेवात में रहने वालों को इस्लाम की ओर प्रेरित करने के लिए एक अभियान चलाया, जिसका संचालन बस्ती निजामुद्दीन की बंगलेवाली मस्जिद से किया जाता था। इस अभियान का नारा था 'मुसलमानों मुसलमान बनो'। उत्तर प्रदेश और देवबंदी समुदाय के मौलवियों ने इनको कट्टर मुसलमान बनाने के

लिए खूब मेहनत की। इन मौलवियों का नेतृत्व मोहम्मद इल्यास कांधलवी ने किया था, जो कि दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए थे। इसके बाद इस क्षेत्र में गोवध का चलन शुरू हुआ और भारी संख्या में मस्जिदों का निर्माण किया गया। मेव पक्के और कट्टर मुसलमान बना दिए गए और उन्होंने हिंदू नाम छोड़कर इस्लामी नाम रखने शुरू कर दिए।

देश के विभाजन के समय पांच लाख मेवों ने पाकिस्तान जाने के लिए पुराना किला शिविर में डेरे डाले हुए थे। मगर महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उन्हें पाकिस्तान जाने से रोक दिया और उन्हें वापस मेवात ले गए। महात्मा गांधी और मौलाना आजाद ने तीन बार मेवात क्षेत्र का दौरा किया और इन मेवों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। यह क्षेत्र क्योंकि तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का चुनाव क्षेत्र था, इसलिए उन्होंने भी अपने वोट बैंक को स्थिर रखने के लिए मेवों को इस क्षेत्र में बसाया और उन्हें सरकारी भूमि भी अलॉट की गई। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई तो देश में सिर्फ दो ऐसे क्षेत्र थे, जिनमें इस घटना का विरोध करने के लिए हिंदू मंदिरों को उग्र भीड़ ने अपना निशाना बनाया था। ये क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और मेवात थे। मेवात के नगिना, नूंह, पुन्हाना आदि क्षेत्रों में उग्र भीड़ ने 42 हिंदू मंदिरों को लूटने के बाद उनमें आग लगा दी और चार पुजारी मार दिए गए। इस क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है।

मोहर्रम के मौके पर अनेक स्थानों पर शिया–सुन्नी दंगे

देश भर में मोहर्रम के अवसर पर ताजिये निकाले गए। समाचारपत्रों के अनुसार इन जुलूसों में देश भर में कम-से-कम आठ लोग मारे गए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुई खूनी झड़पों में सौ से अधिक लोग घायल हो गए। दिल्ली के नांगलोई में पुलिस और ताजिया निकालने वालों के बीच जोरदार झड़पें हुईं, जिसमें 43 लोग घायल हो गए। पुलिस ने तीन मुकदमे इन झड़पों के सिलसिले में दर्ज किए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 जुलाई) के अनुसार वाराणसी में पुलिस की भारी सुरक्षा के बावजूद दोषीपुरा क्षेत्र में मोहर्रम के जुलूस में भारी हंगामा हुआ, जिसमें शिया और सुन्नी संप्रदाय के बीच कई घंटों तक झड़पें हुईं। दोनों ओर से पथराव किया गया। इन झड़पों में हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें सौ से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार 50 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। दोनों संप्रदायों के बीच हो रही झड़पों के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके पथराव करने वाली भीड़ को खदेड़ा। पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन के अनुसार इस पथराव में शिया और सुन्नी संप्रदाय के अनेक ताजियों को भी नुकसान पहुंचा है। शिया संप्रदाय ने अपने ताजियों को कर्बला में दफनाने के लिए ले जाने से इंकार कर दिया और सड़क पर धरना देकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बात की भी सूचना है कि कुछ लोगों ने इस जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। मगर इसकी पुष्टि

सरकारी सूत्रों से नहीं हो सकी है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी गई है और इस सिलसिले में अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

दैनिक भास्कर (30 जुलाई) के अनुसार जौनपुर में भी शियाओं और सुन्नियों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें कम-से-कम 150 लोग घायल हो गए। कहा जाता है कि ताजिया के जुलूस में शामिल युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और उस समय पुलिस वहां पर मौजूद थी। मगर उसने नारे लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में कुछ अन्य लोगों ने इस घटना का वीडियो वायरल कर दिया। इस पर पुलिस ने 33 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। घटना मीरगंज के थाना गोधना बाजार की है। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जिन 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ विभिन्न आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पिछले साल भी जुलूस में नारे लगाए गए थे। इस संदर्भ में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।

रोजनामा सहारा (30 जुलाई) के अनुसार दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र में मोहर्रम के जुलूस के दौरान पुलिस और जुलूस में शामिल लोगों के बीच झड़पें हुईं। बताया जाता है कि ताजिया ले जाने वाले अपने ताजियों को एक स्टेडियम में दफनाना चाहते थे। जब पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी तो उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि नांगलोई में ताजिया के जुलूस के दौरान आठ से दस हजार लोग शामिल थे। ताजिये के प्रबंधक रास्ते को लेकर पुलिस से उलझ गए। वे ताजिया को तयशुदा रास्ते की बजाय अन्य रास्ते से ले जाना चाहते थे। जिसकी अनुमति पुलिस ने नहीं दी। इस पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 15 लोग जख्मी हो गए। उग्र भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिस पर प्रदर्शनकारियों ने वहीं धरना दे दिया। पुलिस ने इस संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

श्रीनगर में 34 साल के बाद मोहर्रम का जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा जुलूस जडवल क्षेत्र में निकाला गया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। मनोज सिन्हा ने ताजिये का मातम करने वाले हजारों लोगों को पानी की बोतलें बांटीं। अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और बडगाम में भी ताजिए निकाले गए। इसके अतिरिक्त बारामूला, पट्टन, सोपोर, बांदीपुरा और कुपवाड़ा में शियाओं ने ताजिए निकाले।

इंकलाब (31 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 30 फीट ऊंचे ताजिए के बिजली की तारों से टकराने के कारण आग लग गई, जिसमें दो लोग मौके पर मारे गए और 50 लोग घायल हो गए। बाद में इनमें से तीन और लोगों की मौत हो गई। रामपुर के थाना सिविल लाइंस के गांव रायपुर में ताजिया के जुलूस को लेकर शियाओं और सुन्नियों के बीच जोरदार झड़पें हुईं, जिनमें एक दूसरे पर गोलियां चलाई गईं। पुलिस के अनुसार इस गोलीबारी में कम-से-कम पांच लोग घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जाती है। पुलिस ने इस संबंध में पांच हमलावरों को गिरफ्तार किया है। रामपुर के टांडा नगर के दरियाल गांव में पुलिस ने शिया और सुन्नियों के बीच के झड़पों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें दो दर्जन के करीब लोग घायल हो गए।

इसी समाचारपत्र के अनुसार पीलीभीत में कांवड़ियों और ताजिया निकालने वालों के बीच झड़पें हुईं। सुरक्षा प्रबंधों में लापरवाही के कारण जिले के पुलिस कप्तान ने जहानाबाद के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और शाही चौकी के इंचार्ज आदित्य सिंह को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने 125 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार ताजिया ले जाने वाले लोगों और कांवड़ियों के बीच हुई झड़पों में पुलिस के सीओ प्रतीक दहिया सहित दो दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को बिगड़ते देख बरेली मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और बरेली के आईजी डॉ. राकेश सिंह भी रात को ही घटनास्थल पर पहुंच गए और कई लोगों को दंगा फैलाने के आरोप में हिरासत में ले लिया। जहानाबाद कस्बे में ताजियादारों और कांवड़ियों के बीच झड़पें हुईं। कहा जाता है कि ताजियागाहों पर कांवड़ियों ने कांवड़ रख दिए थे और ताजियों को निकलने से रोका था, जिसमें दोनों ओर से झड़पें हुईं। बताया जाता है कि इस संबंध में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों और कांवड़ियों के बीच झड़पें हुईं। बताया जाता है कि जोगी नवादा से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा को जब कांवड़ियों ने नए रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया तो उसका मुसलमानों ने विरोध किया। इससे पूर्व मुसलमानों ने कांवड़ यात्रा को रोकने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि जिन पुलिस वालों ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया था, उन्हें प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। झारखंड के बोकारे में भी मोहर्रम के जुलूस में ताजियों के बिजली की तारों की चपेट में आने से चार लोगों की मौके पर मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर संवेदना प्रकट की है। गुजरात के राजकोट जिले में भी मोहर्रम के जुलूस निकालते समय बिजली के करंट लगने से दो लोग मारे गए और 22 घायल हो गए। ■

अहमदियों को मुसलमान न मानने पर उभरा नया विवाद

हाल ही में अहमदिया संप्रदाय को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। इस वर्ष के फरवरी महीने में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की थी कि कादियानी (अहमदिया) संप्रदाय गैर-मुस्लिम हैं। इसके बाद अहमदिया संप्रदाय के लोगों ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने वक्फ बोर्ड के इस प्रस्ताव की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव नफरत का अभियान है। वहीं सुन्नी मुसलमानों के अधिकांश संगठन आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं।

सियासत (26 जुलाई) ने कहा है कि मोदी सरकार में अहमदियों को काफिर कहना मुसलमानों को मुश्किल में डाल सकता है। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड के इस प्रस्ताव को वापस लेने का निर्देश दिया गया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि यह प्रस्ताव नफरती अभियान है और इससे पूरे देश में अहमदियों के खिलाफ माहौल बन सकता है, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के.एस. जवाहर रेड्डी को भेजे पत्र में कहा गया है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को कादियानियों की तरफ से 20 जुलाई 2023 को एक ज्ञापन मिला है, जिसमें कहा गया है कि कुछ वक्फ बोर्ड कादियानियों का विरोध कर रहे हैं और उन्हें इस्लाम से बाहर रखने के लिए गैरकानूनी प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि यह अहमदियों के खिलाफ व्यापक तौर पर एक नफरती अभियान है। वक्फ बोर्ड के पास अहमदियों सहित किसी भी संप्रदाय की धार्मिक पहचान करने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि वक्फ एक्ट 1995 बुनियादी तौर पर भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बनाया गया एक कानून है और इसके तहत राज्यों के वक्फ बोर्ड को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वे इस तरह का प्रस्ताव पारित करें।

समाचारपत्र के अनुसार 2012 में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया था,

जिसमें अहमदियों को गैर-मुस्लिम घोषित किया गया था। इस प्रस्ताव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव को निलंबित करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद इस साल के फरवरी महीने में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर अहमदियों को गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि अहमदिया संप्रदाय के लोग खुद को मुसलमान करार देते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना 19वीं शताब्दी में पंजाब के कादियान कस्बे में हुई थी और इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे, जो कि खुदा के रसूल होने का दावा करते थे।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव का समर्थन किया है और कहा है कि यह फैसला समस्त मुसलमानों का है और इस संबंध में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्य सरकार को जो पत्र भेजा है, वह मुसलमानों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप और आधारहीन है। क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के वक्फ और उसके हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है, इसलिए वह संप्रदाय जो मुसलमान नहीं हैं, इसकी परिधि में नहीं आते हैं। जमीयत ने कहा है कि दीन व इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों को अहमदी स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्हें इस्लामी फिरकों में शामिल करने का कोई आधार नहीं है।

मुस्लिम वर्ल्ड लीग (राब्ता आलम-ए-इस्लामी) ने 1974 के अपने अधिवेशन में 110 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि अहमदी इस्लाम से खारिज हैं और वे इस्लाम दुश्मन हैं। इतिहास में अनेक अदालतें भी कादियानियों को गैर-मुस्लिम होने के बारे में फैसले दे चुकी हैं। 1912 में मुंगेर के उप न्यायाधीश द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि अहमदी मुसलमानों की मस्जिदों में दाखिल नहीं हो सकते। 1974 में संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च न्यायालय ने अहमदियों को देश से निष्कासित करने का निर्देश दिया था। इसी तरह से 1937 में मॉरीशस के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अहमदियों को गैर-मुस्लिम करार दिया गया था।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी के बयान की निंदा करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि मुसलमान वही माना जाता है, जो इस बात को मानता हो कि हजरत मोहम्मद खुदा के आखिरी रसूल थे। क्योंकि अहमदी इस बात को नहीं मानते, इसलिए वे मुसलमान नहीं हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 अगस्त) ने एक समाचार प्रकाशित करते हुए कहा है कि उलेमा की नजर में अहमदी गैर-मुसलमान हैं। रजा अकादमी के प्रमुख मोहम्मद सईद नूरी ने कहा है कि अहमदिया संप्रदाय के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद नबी होने का दावा किया था और अपनी पुस्तकों में भी लिखा था कि मैं अंतिम नबी हूं। तुम लोग मुझे नबी मानो। मिर्जा का यह दावा कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसलिए सभी अहमदी काफिर हैं और उन्हें मुसलमान नहीं माना जा सकता।

टिप्पणी: उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के शासनकाल में जमीयत उलेमा की ओर से इस बात का अभियान चलाया गया था कि सरकार अहमदियों को गैर-मुस्लिम घोषित करे। जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी ने सऊदी अरब की सरकार से यह अनुरोध किया था कि अहमदियों के हज यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। 2019 में अहमदियों द्वारा दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में कुरान की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुस्लिम संगठनों द्वारा प्रबल विरोध के कारण सरकार को इस प्रदर्शनी को बंद करवाना पड़ा था।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के निर्माण के आंदोलन में अहमदियों के कुछ नेता, जिनमें पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री सर जफरुल्लाह खान की विशेष

भूमिका थी। अहमदियों को यह आशा थी कि अंग्रेज इस देश को छोड़ते समय पाकिस्तान की बागड़ोर उन्हें सौंप देंगे। मगर उनकी आशा के विपरीत अंग्रेजों ने इस नवगठित देश की बागडोर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले कर दी। अहमदियों के खिलाफ पाकिस्तान में पहला दंगा लाहौर में 1953 में हुआ। इसके बाद अहमदी नेता सर जफरुल्लाह को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा। 1974 में अहमदियों के मुख्यालय रबवाह को कट्टरपंथी मुसलमानों ने अपना निशाना बनाया और पूरे पाकिस्तान में अहमदी विरोधी दंगे फैल गए। कट्टरपंथियों के दबाव के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को यह आश्वासन देना पड़ा कि पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके अहमदियों को काफिर अर्थात गैर-मुस्लिम घोषित किया जाएगा।

1984 में पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली ने अहमदियों के चुनाव में भाग लेने और अपने धर्म के प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें काफिर घोषित कर दिया। अहमदियों के खलीफा मिर्जा ताहिर अहमद को भागकर लंदन में शरण लेनी पड़ी। अहमदी विरोधी दंगों की जांच के लिए मुनीर आयोग का गठन किया था, जिसने जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख मौलाना मौदूदी सहित 27 प्रमुख मुस्लिम नेताओं को इन दंगों का दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा देने की घोषणा की। बाद में मोहम्मद अयूब के शासनकाल में इन सभी मुस्लिम नेताओं को माफी देकर जेल से रिहा कर दिया गया। आज भी किसी भी अहमदी को पाकिस्तान सरकार में कोई पद प्राप्त करने की अनमुति नहीं है और न ही वे सेना में भर्ती हो सकते हैं। यहां तक कि वे पाकिस्तान के किसी भी चुनाव में मतदान भी नहीं कर सकते हैं।

मस्जिदों के नाम पर जनता को भड़काने का प्रयास

इंकलाब (20 जुलाई) के अनुसार दिल्ली के बंगाली मार्केट के समीप बनी दो मस्जिदों बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बब्बर शाह मस्जिद को रेलवे बोर्ड ने नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ये दोनों मस्जिदें अवैध रूप से रेलवे की भूमि पर बनी हुई हैं। इसलिए इन्हें दो सप्ताह के भीतर हटा लिया जाए। वरना रेलवे प्रशासन रेलवे एक्ट के तहत इन्हें हटाएगा और इसमें होने वाले नुकसान के लिए इन मस्जिदों के प्रबंधक जिम्मेवार होंगे। गौरतलब है कि तीन महीने पहले भी बंगाली मार्केट की एक मस्जिद पर बुलडोजर चला था और इसके बाहरी हिस्से को यह कहकर ध्वस्त कर दिया गया था कि यह एलएंडडीओ की जमीन पर है।

इससे कुछ दिन पहले सुनहरी बाग क्षेत्र में भी बनी हुई दरगाह को यह कहकर ध्वस्त कर दिया गया कि वह सरकारी जमीन पर बनी हुई है। इसके बाद सुनहरी बाग मस्जिद को भी निशाना बनाने का प्रयास किया गया। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने इस मस्जिद का दौरा

किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अनुसार यह मस्जिद वक्फ बोर्ड के गजट में दर्ज है। इस पर वक्फ बोर्ड ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय ने इस मस्जिद को गिराने पर रोक लगा दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने दावा किया है कि मस्जिद तकिया बब्बर शाह वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। एक दशक पूर्व रेलवे ने रेलवे लाइन के विस्तार के लिए मस्जिद के प्रबंधक बोर्ड से कुछ भूमि मांगी थी, जो उसे दे दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि अब रेलवे ने इस पूरी जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है।

इंकलाब (27 जुलाई) के अनुसार वक्फ बोर्ड ने इन दोनों मस्जिदों को बचाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वक्फ बोर्ड की याचिका पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी करके रेलवे बोर्ड को इन दोनों मस्जिदों को गिराने से रोक दिया है और इस संबंध में उससे जवाब तलब भी किया है।

इंकलाब (21 जुलाई) के अनुसार अयोध्या में खजूर वाली शाही मस्जिद की एक मीनार को ध्वस्त किए जाने की इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निंदा की है और कहा है कि यह मस्जिद पुरानी है और इसका पुराना नाम मस्जिद मेंहदी हसन खां है और इसका प्रबंधन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तहत है। उन्होंने कहा है कि रामपथ विस्तार योजना के तहत इस मस्जिद को गिराना अनुचित है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। महाराष्ट्र के जलगांव नगर में भी एक मस्जिद का विवाद गंभीर रूप ले रहा है। एक हिंदू संगठन ने जलगांव के जिलाधिकारी को एक याचिका दी है, जिसमें कहा गया है कि यह मस्जिद महाभारतकालीन मंदिर है और अब इस मस्जिद का अवैध रूप से विस्तार किया जा रहा है। दूसरी ओर इस मस्जिद के प्रबंधकों का कहना है कि यह मस्जिद पिछले डेढ़ सौ साल से यहां पर मौजूद है और यह महाराष्ट्र सरकार के रिकॉर्ड में एक सुरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज है। इस याचिका पर जलगांव के जिलाधिकारी ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था और धारा 144 लागू कर दी थी। बाद में जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ खान ने जिलाधिकारी के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध के आदेश को खारिज कर दिया। अब इस मस्जिद में पांचो वक्त की नमाज जारी रहेगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 जुलाई) ने अपने संपादकीय में उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि पिछले डेढ़ सौ साल से इस मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। लेकिन कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अब जानबूझकर इस विवाद को हवा दी जा रही है, ताकि बाबरी मस्जिद की तरह इस मस्जिद पर भी कब्जा किया जा सके। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि देश में प्राचीन मस्जिदों पर कब्जा करने का जो अभियान चल रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि संसद ने 1991 में पूजा स्थल अधिनियम 1991 नामक एक कानून पारित किया था। इसमें यह व्याख्या की गई है कि 1947 के बाद उपासना स्थल जिस स्थिति में थे, उन्हें उसी स्थिति में बरकरार रखा जाए। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर कोई निर्णय नहीं दिया है।

विपक्षी एकता के पक्ष में उर्दू अखबारों का अभियान

पिछले कुछ समय से विपक्षी एकता के पक्ष में उर्दू अखबारों ने जोरदार अभियान छेड़ रखा है।

अवधनामा (19 जुलाई) ने अपने समाचार का शीर्षक दिया है, 'मिशन 2024, एनडीए के मुकाबले इंडिया का प्लेटफॉर्म तैयार'। 'हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत को हराने के लिए साथ आए हैं'। 'सभी विपक्षी पार्टियां समाज को विभाजित करने के भाजपा के दृष्टिकोण के खिलाफ'। 'खड़गे, ममता, राहुल, केजरीवाल का संबोधन'।

औरंगाबाद टाइम्स (19 जुलाई) का शीर्षक है, '26 विपक्षी पार्टियों के इंडिया ने मोदी सरकार का किला ढहाने का बीड़ा उठाया।'

औरंगाबाद टाइम्स (18 जुलाई) का शीर्षक है, '2024 में भाजपा से मुकाबले के लिए बेंगलुरु में विपक्षी एकजुट'। '26 पार्टियों का गठबंधन गेमचेंजर सिद्ध होगा'। 'एक अकेला सब पर भारी है तो मोदी दूसरी पार्टियों से गठबंधन क्यों कर रहे हैं : खड़गे'।

अवधनामा (18 जुलाई) के अनुसार भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के बेंगलुरु सम्मेलन को राजनीतिक स्वार्थ की खोखली बुनियादों पर बनाया गया भानुमती का कुनबा करार दिया है और कहा है कि 20 लाख करोड़ के घोटालों पर सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए बेंगलुरु में नौटंकी हो रही है। न तो इनके पास कोई नेता है और न ही नीति और न फैसला लेने की शक्ति। नड्डा ने दावा किया कि एनडीए की बैठक में देश की 38 राजनीतिक पार्टियां शामिल हो रही हैं और इसमें और भी वृद्धि होने की संभावना है। पिछले नौ वर्षों से एनडीए का ग्राफ और प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए देश की सेवा में समर्पित गठबंधन है।

सालार (19 जुलाई) के अनुसार आई.एन.डी.आई.ए. अर्थात् इंडिया गठबंधन में शामिल 26 पार्टियों ने एकजुट होकर भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के खिलाफ आने वाले लोकसभा चुनाव में दो दो हाथ करने की घोषणा की है। इन विपक्षी नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और उसकी जन विरोधी नीतियों को अपना निशाना बनाया।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि एक ओर तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों के नेता आपस में बैठकर 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को पराजित करने की योजना बना रहे थे

और एक संयुक्त गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस (आई.एन.डी.आई.ए.) बनाने की घोषणा की। दूसरी ओर, इसके जवाब में राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोर्चा संभाला और दिल्ली के अशोका होटल में 38 राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। 2014 और 2019 में भाजपा को ठोस बहुमत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बढ़ते हुए कद को देखते हुए एनडीए में शामिल सभी पार्टियां बैकग्राउंड में चली गई थीं और एक ही चेहरा सब पर भारी था और वह चेहरा था प्रधानमंत्री मोदी का और दूसरे नंबर पर अमित शाह का। बाकी किसी की कोई हैसियत ही नहीं रह गई थी। पिछले एक साल में नरेन्द्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटनों का एक सिलसिला शुरू किया। हर जगह या तो नरेन्द्र मोदी खुद पहुंच जाते हैं या फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा उसका उदघाटन करते हैं। आम लोगों को रेलवे मंत्री का नाम तक नहीं पता था। लेकिन जब उड़ीसा में भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई तो पहली बार लोगों को पता चला कि इस देश में कोई रेल मंत्री भी है, जिसका नाम अश्विनी वैष्णव है। इसके बाद फिर से वे जनता के सामने से गायब हो गए।

प्रधानमंत्री मोदी का कद इतना उंचा हो गया था कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। आज रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का किसी को पता नहीं कि वे कहा हैं। राजनाथ सिंह सरकारी कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के अलावा और कहीं नजर नहीं आते हैं। नितिन गडकरी का भी अब कोई नाम नहीं आता। और तो और प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस को भी अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर चुके हैं। मोदी बीजेपी का एक ब्रांड बन गए थे। हर चुनाव उनका चेहरा सामने रखकर लड़ा जाता था और बीजेपी को कामयाबी भी मिलती थी। लेकिन इस ब्रांड को जोरदार झटका कर्नाटक के चुनाव में लगा। कर्नाटक के चुनाव में कामयाबी के बाद राहुल गांधी का कद कुछ ऊंचा हो गया और वहीं विपक्षी दलों के भीतर भी आत्मविश्वास पैदा हुआ।

कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने में उनकी हिचकिचाहट भी काफी हद तक दूर हो गई।

अब भाजपा और आरएसएस दोनों को यह विश्वास हो गया है कि एक चेहरे के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसलिए एनडीए में पुराने साथियों को मनाने और नए लोगों को लाने का प्रयास शुरू हो गया है। क्षेत्रीय दल भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दक्षिण भारत में भाजपा चंद्रबाबू नायडू या जगनमोहन रेड्डी को अपने साथ मिला सकती है। ममता बनर्जी और केजरीवाल के अतिरिक्त तमिलनाडु के स्टालिन, बिहार के नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ आना पसंद किया है। इसी दौरान केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। वह धमकी और ब्लैकमेलिंग के द्वारा भाजपा के पक्ष में वातावरण तैयार कर चुकी हैं। शिवसेना और एनसीपी में हाल में जो फूट पड़ी है उसके पीछे भी इन एजेंसियों का हाथ है। मगर इसके बावजूद भाजपा हाईकमान को 2024 में हार का डर सता रहा है। इसलिए एनडीए को जिंदा किया जा रहा है।

सियासत (17 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि लोकसभा के चुनाव होने में अभी काफी समय है और इससे पूर्व देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए शतरंज की चालें भी तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों द्वारा एक मोर्चा बनाने और तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भाजपा भी हरकत में आ गई है। कुछ पार्टियां भाजपा का साथ छोड़कर विपक्षी गठबंधन में शामिल हो रही हैं तो कई ऐसी पर्टियां जो अब किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं रही हैं, वे बीजेपी से नजदीकी बढ़ाना चाहती हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही हैं, उनमें कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो पहले भाजपा के साथ रह चुकी हैं। इनमें नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) भी शामिल है। कई पार्टियां जो एनडीए से अलग हो गई थीं, वे वापस आ रही हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी शामिल है। भाजपा और कांग्रेस अपने अपने समर्थकों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो इन दोनों गठबंधनों में शामिल नहीं हैं, मगर भाजपा की सहायक रही हैं। इनमें वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति शामिल हैं। अब यह देखना जरूरी है कि कौन सी पार्टियां ऐसी हैं, जो इस देश में संविधान और कानून का शासन चाहती हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण चाहती हैं। वे कौन सी पार्टियां हैं, जो इस देश के लोकतांत्रिक ढांचों को खोखला करने की कोशिश कर रही हैं और अपने विरोधियों को ताकत के बल पर झुकाने या समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं। देश की जनता की यह जिम्मेवारी है कि वह लोकतंत्र की रक्षा और संविधान व कानून के शासन को सुनिश्चित बनाने वाले ताकतों का समर्थन करे।

सियासत (18 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद देश की राजनीति में बदलाव आने की संभावना बढ़ गई है। अगर देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति बेहतर रहती है तो इससे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को और अधिक शक्ति मिलेगी और लोकसभा चुनाव में जीत की संभावना बेहतर हो सकती है। बेंगलुरु अधिवेशन में सोनिया गांधी के भाग लेने से यह साफ होता है कि कांग्रेस भाजपा विरोधी सभी पार्टियों को अपने साथ लेकर चलने में गंभीर है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (20 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि लोकसभा के आने वाले चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस और भाजपा की सहयोगी पार्टियों ने शतरंज की बिसात बिछानी शुरू कर दी हैं। बेंगलुरु में हुई बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने सेक्युलर,

लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने का संकेत दिया है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल, मणिपुर की अमानवीय त्रासदी, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मामले भी उठाए हैं। पटना की बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांगेस और आप के बीच तनाव तो था ही, समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ संतुष्ट नहीं थी। लेकिन बेंगलुरु की बैठक में ये सभी पार्टियां एक साथ नजर आईं। यही नहीं राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां भी केंद्रीय स्तर पर एकजुट नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियों ने कॉमन वॉर रूम बनाने के अतिरिक्त हर राज्य में संयोजक बनाने और अलग-अलग समस्याओं के समाधान के लिए समितियां गठित करने की योजना भी बनाई हैं।

समाचारपत्र का कहना है कि बेंगलुरु की बैठक के एजेंडे का मुख्य बिंदु यह है कि लोकसभा की 450 सीटों पर विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारा जाए। हालांकि साझा उम्मीदवार तय करने में समय लगेगा। विपक्षी तैयारियों को देखते हुए लोकसभा चुनाव के दिलचस्प होने की उम्मीद है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। दिल्ली में एनडीए की जो बैठक हुई है, उसमें 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया है। मगर इनमें कई पार्टियां ऐसी हैं, जिनका संसद में एक भी प्रतिनिधि नहीं है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उससे देश में लोकतंत्र के मजबूत होने की आशा की जा सकती है।

सियासत (24 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश की 26 विपक्षी दलों के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। अगर देश के अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में गैर-भाजपा पार्टियां अपने साझा उम्मीदवार खड़े करती हैं तो विपक्ष के वोट विभाजित नहीं होंगे, जिसके कारण भाजपा के उम्मीदवार नहीं जीत पाएंगे। अभी तक गैर-भाजपा पार्टियों में वोटों के विभाजन के कारण भाजपा के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। समाचारपत्र का कहना है कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से संघ परिवार में काफी खलबली मची हुई है और वह नई स्थिति से निपटने के लिए अपनी रणनीति बना रहा है। समाचारपत्र का कहना है कि यह गठबंधन तभी स्थाई रह सकता है, जब विपक्षी गठबंधन में शामिल बड़ी राजनीतिक पार्टियां छोटी राजनीतिक पार्टियों के हितों का ख्याल रखें और आपस में झगड़ने से बचें। भाजपा अपने विरोधी पार्टियों के गठबंधन को कमजोर करने और उनमें फूट डालने के लिए अपने ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग कर सकती है। आज जो पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही हैं चुनाव समीप आते ही उन्हें नई-नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस ने घोषणा की है कि यदि विपक्षी गठबंधन इंडिया लोकसभा के चुनाव में सत्ता में आता है तो कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी में रुचि नहीं रखेगी।

अवधनामा (19 जुाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा ने जिस तरह से एनडीए

को पुनः जिंदा करने का फैसला किया है, उससे यह अनुमान होता है कि हवा का रूख बदल रहा है और विपक्षी दलों की एकता के कारण भाजपा को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ रहा है। कर्नाटक में हार के बाद जब मोदी भोपाल गए तो उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता से यह पता चलता है कि सभी घोटालेबाज एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि यह अजीब बात है कि एनसीपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले मोदी ने एक सप्ताह के अंदर ही इन सभी घोटालेबाजों के साथ गठबंधन करके उन्हें मंत्रिमंडल की शपथ दिला दी है। मोदी भूल गए कि उनके गृह मंत्री भ्रष्टाचार से भी अधिक गंभीर आरोपों में जेल की हवा खा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में गांधी परिवार, मुलायम, लालू, शरद पवार और चंद्रशेखर राव के बेटे बेटियों का हवाल देते हुए कहा कि अगर परिवार को सत्ता में लाना है तो आप विपक्षी दलों को वोट दीजिए। मगर मध्य प्रदेश की जिस भूमि पर मोदी भाषण दे रहे थे वहां के ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने केंद्रीय मंत्री बनाया और वे विजया राजे सिंधिया के पोते हैं। विजया राजे की बेटी वसुंधरा को राजस्थान में भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया था। जबकि उनका सगा भाई कांग्रेस का केंद्रीय मंत्री था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के बेटे हैं। भाजपा के संसदीय दल में अनेक लोग ऐसे हैं, जिन्हें विरासत में पार्टी का टिकट मिला। पशुपति पासवान और चिराग पासवान दोनों रामविलास के भाई और बेटे हैं। शरद पवार के भतीजे भी भाजपा में आ चुके हैं। प्रकाश सिंह बादल और बाल ठाकरे के बेटों को भी भाजपा अपने सिर आंखों पर बैठा चुकी है। अमित शाह ने अपने बेटे जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाकर उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थमा दी है।

समाचारपत्र का कहना है कि जब प्रधानमंत्री का परिवारवाद का ब्रह्मास्त्र बेकार हो गया तो उन्होंने डर व भय का दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। रायपुर में मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के प्रयासों पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग अब मेरे पीछे पड़ेंगे। मेरी कब्र खोदने की धमकियां देंगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि जो डर जाए वह मोदी नहीं होता। सवाल यह है कि अगर उन्हें डर नहीं लगता तो यह कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी? प्रधानमंत्री की हालत जब पतली होती है तो वे जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए कोई न कोई नौटंकी जरूर करते हैं। राज्यसभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि मुल्क देख रहा है कि एक अकेला आदमी कितनो पर भारी पड़ रहा है। मैं देश के लिए जीता हूं। मैं मुल्क के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान 'मोदी-अडानी भाई भाई' का नारा लगाने वालों ने यह साफ कर दिया कि वे देश के लिए नहीं बल्कि अपने पूंजीपति दोस्तों को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं।

समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन को भानुमति का कुनबा करार दिया। मगर भानुमति के कुनबे की सबसे बड़ी मिसाल तो महाराष्ट्र की सरकार है, जिसमें सत्ता के लिए अपने संगठन शिवसेना से गद्दारी करने वाले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और अपने चाचा के पीठ में छुरा घोपने वाले अजीत पवार उपमुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस दुबक के बैठे हुए हैं। पशुपति पासवान और चिराग पासवान एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। मगर सत्ता का लालच उन्हें भाजपा की शरण में ले आई। नड्डा भूल गए कि अगर 26 पार्टियों का गठबंधन भानुमति का कुनबा है तो 38 पार्टियों का एक साथ आना क्या भानुपति का बड़ा कुनबा नहीं है? अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अजीत पवार भाजपा की वाशिंग मशीन में गोते लगा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी के

मुताबिक हारने के डर से विपक्षी एकजुट हो रहे हैं। मगर नकवी साहब यह भूल गए कि शिवसेना में विभाजन करने वाले कौन थे? अपना दल तोड़कर मां-बेटी को लड़ाने का काम तो भाजपा ने किया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (28 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि 2024 के चुनाव में दो दो हाथ करने के लिए इंडिया और एनडीए के बीच युद्ध चल रहा है। अभी तक इंडिया का पलड़ा भारी चल रहा है। मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार है। प्रधामनंत्री मोदी मणिपुर के बारे में संसद में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। विपक्ष ने भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश कर दिया है। जिस तरह से संसद में भाजपा को ठोस बहुमत प्राप्त है, उसे देखते हुए यह साफ है कि मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में विपक्ष सरकार की सभी मोर्चों पर विफलता को उजागर करने का प्रयास कर रही है। यह विपक्ष की नैतिक जीत के साथ-साथ लोकतंत्र की भी जीत है।

समाचारपत्र का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का रूख अब सरकार के बारे में काफी कड़ा है। सरकार अभी तक उसकी मर्जी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को स्वीकार नहीं करती थी। मगर अब बदले हुए हालात में सरकार को अपने रूख में परिवर्तन करना पड़ रहा है। जिन राज्यों में भाजपा को चुनाव में सफलता नहीं मिली थी वहां विपक्षी सरकारों का तख्ता पलटने के लिए मोदी सरकार ने ईडी का सहारा लिया। कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने में ईडी की भूमिका से कोई इंकार नहीं कर सकता। अब आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में गैर-भाजपा नेताओं को घेरने के लिए ईडी का सहारा लेने की योजना बनाई जा रही है। यही कारण है कि ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल में विस्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और पटना व बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की सफल बैठकों ने सरकार की नींद हराम कर दी है। इसलिए अगला चुनाव जीतने के लिए सरकार को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। विपक्ष के हर बड़े नेता की फाइल तैयार है। सोनिया, राहुल गांधी से लेकर फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार तक पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। किसी भी वक्त उन पर छापे पड़ सकते हैं। इसलिए केंद्रीय एजेंसियों के कोपभाजन से बचने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं।

ब्रिटेन में इस्लामिक प्रचारक आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार

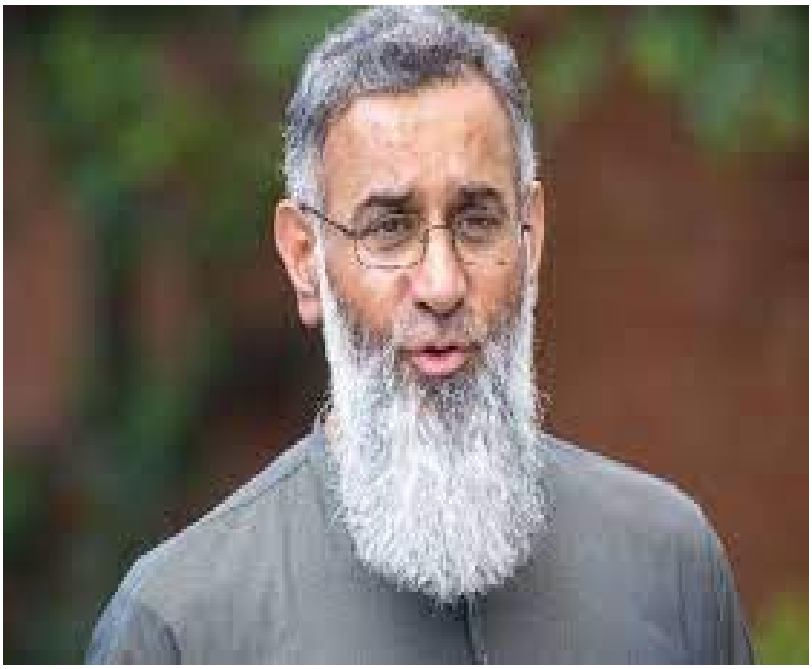

इंकलाब (26 जुलाई) के अनुसार ब्रिटेन में कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक अंजेम चौधरी को लंदन की मेट्रोपोलिटन पुलिस ने आतंकवाद के तीन आरोपों में गिरफ्तार किया है। डॉन अखबार में प्रकाशित 'एएफपी' की रिपोर्ट के अनुसार 56 वर्षीय अंजेम चौधरी का संबंध एक प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकी संगठन से है और वह इस संगठन के लिए लोगों को भर्ती करने का काम करता रहा है। वह इस प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकी संगठन के मार्गदर्शकों में शामिल है। इसके अतिरिक्त एक 28 वर्षीय कनाडाई नागरिक खालिद हुसैन को भी एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन से संबंध रखने के आरोप में पकड़ा गया है। इन्हें वेस्टमिंस्टर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां पर पुलिस ने दावा किया कि इनका संबंध एक प्रतिबंधित संगठन अल-मुहाजिरोन से है। इस संगठन को इस्लामिक थिंकर्स सोसायटी भी कहा जाता है। अदालत ने इन दोनों को जेल भेज दिया है और इन्हें 4 अगस्त को फिर से अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अंजेम चौधरी पूर्वी लंदन का रहने वाला है और वह पाकिस्तानी नागरिकता भी रखता है। पुलिस ने अदालत में बताया कि पिछले दो वर्ष से खालिद हुसैन का अंजेम चौधरी से संबंध है और वह इस प्रतिबंधित संगठन के प्रचार व प्रसार का काम करता है। गौरतलब है कि लंदन पुलिस की आतंकवाद विरोधी संगठन ने इन दोनों को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था।

ब्रिटेन में अवैध प्रवासन को रोकने के लिए कानून

इंकलाब (20 जुलाई) के अनुसार ब्रिटेन सरकार ने देश में अवैध प्रवासन को रोकने के लिए 'इल्लीगल माइग्रेशन बिल' को संसद से पारित करवा लिया है। शासक की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। इस विधेयक को विधिवेत्ताओं, वकीलों और मानवाधिकार संगठनों ने अमानवीय और जालिमाना करार दिया है। रिपोर्ट के अनुसार यह कानून जलमार्ग और अन्य गैरकानूनी रास्तों से आने वाले तमाम व्यक्तियों की राजनीतिक शरण की याचिकाओं को गैरकानूनी

करार देगा और उन्हें ब्रिटेन से निष्कासित कर दिया जाएगा। यह कानून छोटी-छोटी नावों के जरिए उत्तरी फ्रांस से आने वाले लोगों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए बनाया गया है। संसद में विरोध के बावजूद इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया गया। बताया जाता है कि नावों के जरिए अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवासन को रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिफ्यूजी एजेंसी ने इस कानून को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाला बताया है और इसकी निंदा की है। एजेंसी ने कहा है कि इस कानून से अपने देशों में उत्पीड़न का शिकार बनने वाले लोगों को ब्रिटेन में राजनीतिक शरण प्राप्त करने में कठिनाई होगी। एजेंसी ने कहा कि इस तरह के कानून यूरोप के अन्य देश भी बना सकते हैं, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष 45 हजार से अधिक घुसपैठिए छोटी-छोटी नावों द्वारा उत्तरी-पश्चिमी इंग्लैंड के तट पर पहुंचे थे। यह संख्या पिछले साल की तुलना में साठ प्रतिशत अधिक थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि यह कानून अवैध प्रवासन को रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि अवैध प्रवासन को सख्ती से रोका जा सके। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन यह स्वीकार करता है कि शरणार्थी गैरकानूनी तरीके से शरण लेने के लिए किसी भी देश में घुस सकते हैं।

इंकलाब (18 जुलाई) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार ट्यूनीशिया के दौरे पर जाने वाले यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों ने यूरोपीय यूनियन के देशों की ओर से गैरकानूनी घुसपैठ को रोकने के लिए ट्यूनीशिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुटे, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और यूरोपीय यूनियन कमीशन

की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रतिनिधिमंडल ने ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद के साथ अवैध प्रवासन को रोकने के लिए मुलाकात की थी। इन तीनों नेताओं ने ट्यूनीशिया को 967.8 मिलियन यूरो आर्थिक सहायता देने का वायदा किया था। ट्यूनीशिया के लोग आर्थिक परेशानियों और बेरोजगारी के कारण अवैध रूप से यूरोप पहुंचने के प्रयास में अपनी जान को खतरे में डालते हैं। इटली के गृह मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष अब तक 75 हजार से अधिक अवैध प्रवासियों ने नावों के जरिए इटली में घुसने का प्रयास किया है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 31 हजार लोगों ने ऐसा प्रयास किया था। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मानव तस्करों के मॉडल को तबाह करना चाहते हैं और सीमा की सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी संगठन के प्रमुख ने कहा है कि अवैध प्रवासन को रोकना हालांकि बहुत जरूरी है, मगर इसके लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह समझना कठिन है कि जो शर्तें अफगानिस्तान के प्रवासियों पर लागू की जाती है, वह यूक्रेन से आने वाले प्रवासियों पर क्यों नहीं लागू की जाती? उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हजारों लोग यूरोप में प्रवेश करने का प्रयास करते समय समुद्र में डूब जाते हैं। इसलिए यूरोपीय देशों के लिए यह जरूरी है कि वे ट्यूनीशिया आदि गरीब देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करें, ताकि वहां के रहने वाले अवैध प्रवास की ओर आकर्षित न हों।

यूरोप के दो देशों में फिर से कुरान का अपमान

सियासत (21 जुलाई) के अनुसार स्वीडन में रहने वाले इराकी मूल के नागरिक सलवान मोमिका ने एक बार फिर से कुरान का अपमान किया है और इराकी झंडे को भी जलाया है। स्वीडन सरकार द्वारा कुरान के अपमान की अनुमति देने के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए बगदाद में उत्तेजित भीड़ ने स्वीडन के दूतावास पर हमला करके उसे आग के हवाले कर दिया।

मुंबई उर्दू न्यूज (27 जुलाई) के अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में एक बार फिर से कुरान का अपमान किया गया और मिस्र व तुर्किये के दूतावासों के सामने कुरान को आग लगाई गई। डेनमार्क में एक सप्ताह के अंदर कुरान के अपमान की यह दूसरी घटना है। इस घटना को डेनिश पेट्रियोट्स नामक एक गुट ने अंजाम दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 जुलाई) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि कुरान के अपमान की घटनाओं के कारण अब स्वीडन और डेनमार्क मुस्लिम देशों के साथ जंग की हालत में हैं। इन दोनों देशों की सरकारों को कुरान का अपमान करने वाले दोषियों को ईरान के हवाले करना चाहिए, ताकि शरिया कानून के अनुसार सरेआम उनका कत्ल किया जा सके।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 जुलाई) के अनुसार इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने कुरान के अपमान पर स्वीडन के राजदूत को निलंबित कर दिया है। ओआईसी के महासचिव हिसेन ब्राहिम ताहा ने कहा है कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किसी भी धर्म की पवित्र पुस्तक को जलाने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे कही जा सकती है? उन्होंने स्वीडन और डेनमार्क की सरकार से अनुरोध किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

सियासत (24 जुलाई) के अनुसार ईरान ने डेनमार्क में कुरान के जलाए जाने के विरोध में डेनमार्क के राजदूत को ईरानी विदेश मंत्रालय में तलब किया था और उनसे मांग की थी कि कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ इस्लामिक कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए। इराक ने स्वीडन के

राजदूत को अपने देश से निष्कासित कर दिया है और स्वीडन से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं। सऊदी अरब ने भी इन घटनाओं की निंदा की है और कहा है कि इस्लाम विरोधी हरकतों को रोकने के लिए इन दोनों देशों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

इत्तेमाद (24 जुलाई) के अनुसार कुवैत के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों की सरकारों से यह मांग की है कि इस तरह की इस्लाम विरोधी हरकतों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। वरना कुवैत इन दोनों देशों से अपने संबंधों को तोड़ने पर विचार करेगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 जुलाई) के अनुसार स्वीडन में कुरान के अपमान के खिलाफ बेल्जियम के मुसलमानों ने यूरोपीय संसद के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पाकिस्तानी, अफगानी, बांग्लादेशी, भारतीय, सिख और ईसाई भी शामिल हुए।

यमन में इन घटनाओं के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुआ और डेनमार्क के दूतावास को जला दिया गया। बहरीन ने स्वीडन के राजदूत को स्पष्ट शब्दों में बताया है कि अगर कुरान का इस तरह से अपमान होता रहा तो वह इन दोनों देशों से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लेगा। कुरान के अपमान की इन ताजा घटनाओं पर विचार करने के लिए ओआईसी के विदेश मंत्रियों का विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। ओआईसी ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निंदा प्रस्ताव का भी इस्लाम विरोधी तत्वों पर कोई असर नहीं हुआ है।

मुंबई उर्दू न्यूज (27 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सभी मुस्लिम देशों को इन दोनों देशों से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लेने चाहिए और उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए।

अवधनामा (23 जुलाई) ने अपने संपादकीय में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि स्वीडन के खिलाफ इराक ने सख्त कदम उठाया है और ईरान व इराक के विदेश मंत्रियों ने सभी इस्लामिक देशों से इन दोनों देशों का बहिष्कार करने की भी मांग की है। संपादकीय में कहा गया है कि जब तक इस्लामिक जगत एक साथ इकट्ठा होकर इन इस्लाम विरोधी हरकतों का विरोध नहीं करेगा तब तक इस्लाम, रसूल और कुरान के अपमान की ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी।

पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 50 से अधिक मरे

रोजनामा सहारा (31 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के सम्मेलन में हुए एक आत्मघाती हमले में साठ के लगभग लोग मारे गए और 150 से अधिक जख्मी हो गए। मरने वालों में इस संगठन के दो नेता मौलाना जियाउल्लाह खान जान और हमीद उल्लाह हक्कानी भी शामिल हैं। जिला के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में साठ से ज्यादा शवों को लाया जा चुका है और इनमें और भी वृद्धि होने की संभावना है। जबकि गंभीर रूप से घायलों को सेना के हेलीकॉप्टर से पेशावर भेजा जा रहा है। इस धमाके में जियो न्यूज के कैमरामैन समीउल्लाह भी जख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल ने बताया कि यह आत्मघाती हमला था। हमला करने वाला विस्फोटक से भरे हुए जैकेट को पहनकर सम्मेलन में आया था, जहां उसने धमाके से अपने आप को उड़ा लिया। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इस घटना पर चिंता प्रकट की है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से यह मांग की है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए।

सियासत (2 अगस्त) ने अपने संपादकीय में पाकिस्तान में बढ़ती हुई आतंकी घटनाओं पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्तारूढ़ हुए हैं पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। इस वर्ष के जनवरी महीने में पेशावर की मस्जिद में हुए धमाके में कम-से-कम सौ लोग मारे गए थे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार से नजदीकी संबंध रखती है। पाकिस्तान सरकार कई बार अफगानिस्तान के शासकों से यह मांग कर चुकी है कि वे अपनी भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले आतंकवादी हमलों के लिए न होने दें। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि इस घटना के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। इस हमले का निशाना जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम का फजलुर रहमान गुट बना है, जोकि कट्टर इस्लामिक संगठन समझा जाता है। मौलाना फजलुर रहमान के तार भारत के देवबंदी संगठनों से जुड़े हुए हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है।

समाचारपत्र ने कहा है कि आईएसआईएस ने अब पाकिस्तान में भी आतंकवादी गतिविधियां करनी शुरू कर दी हैं। क्योंकि फजुलर रहमान गुट के संबंध अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान से है, इसलिए उन्हें आईएसआईएस ने अपना निशाना बनाया है। पाकिस्तान वर्षों से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन करता आ रहा है। पाकिस्तान में हाल तक ऐसे अनेक शिविर मौजूद थे, जिनमें तालिबान को आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता था। जब अफगानिस्तान में रूस के समर्थक सत्तारूढ़ थे तो उनके खिलाफ पाकिस्तान की भूमि से आतंकवादी गतिविधियों का संचालन किया जाता था। कहा जाता है कि इन आतंकवादियों को

अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सीआईए से प्रशिक्षण दिया जाता था। पाकिस्तान ने 2001 में अमेरिका के इशारे पर अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ अफगान सरकार का तख्ता पलट दिया था। तब से पाकिस्तान दोगली नीति अपनाए हुए है। एक ओर पाकिस्तान अमेरिकी सेना का साथ देता था तो दूसरी ओर तालिबान को पाकिस्तान में शरण भी दी जाती थी। अफगानिस्तान में वर्षों से जारी गृहयुद्ध के कारण अफगानिस्तान-पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में भारी संख्या में आतंकवादी बन गए हैं। अब पाकिस्तान सरकार को इनसे खतरा महसूस होने लगा है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तारूढ़ होने के बाद जिस तरह से आईएसआईएस की खूनी गतिविधियां बढ़ी हैं, उसके कारण अब पाकिस्तान के शासकों की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान सरकार को अपनी इन नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि वहां पर बढ़ते आतंकवाद पर काबू पाया जा सके।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की मांग

इत्तेमाद (31 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हजारों समर्थकों ने राजधानी ढाका में उग्र प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री शेख हसीना के त्यागपत्र की मांग की। प्रदर्शनकारी यह भी मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश में सभी दलों की राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए, जिसकी निगरानी में देश में चुनाव करवाए जाएं। उनका आरोप है कि शेख हसीना की सरकार के शासनकाल में देश में निष्पक्ष चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है।

गौरतलब है कि 2018 में शेख हसीना की सरकार ने प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया था। अब बांग्लादेश की जनता शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। विपक्षी दल सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके राज में महंगाई और बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है और आर्थिक रूप से देश दिवालिया हो गया है। प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस बात की मांग कर रही है कि जनवरी 2024 में देश में होने वाले संसदीय चुनाव सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सरकार की निगरानी में करवाए जाएं। प्रमुख विपक्षी नेता अब्दुल मतीन खान ने पत्रकारों को बताया कि हमारा एकसूत्रीय कार्यक्रम यह है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो और यह केवल निष्पक्ष चुनाव के बाद ही संभव है। वर्तमान सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए और एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाई जानी चाहिए, जिसकी निगरानी में देश में चुनाव हों।

चटगांव से आने वाले एक विपक्षी नेता मिर्जा अब्बास ने बताया कि सरकार ने इस रैली को रोकने की बड़ी कोशिश की थी, मगर वह सफल नहीं हुई। इस रैली में भाग लेने के लिए आने वाले 50 हजार लोगों को पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में 2014 और 2018 के संसदीय चुनावों में धांधली के आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाए थे। हालांकि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन आरोपों का खंडन किया था। 2009 से शेख हसीना सत्तारूढ़ हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और तानाशाही के गंभीर आरोप हैं।

नाइजर में सैनिक क्रांति

इंकलाब (28 जुलाई) के अनुसार अफ्रीकी मुस्लिम बहुल देश नाइजर में सेना ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट दिया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौम को उनके अपने ही अंगरक्षकों ने गिरफ्तार कर लिया है। सैनिक प्रवक्ता ने देश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। दूसरी ओर अपदस्थ राष्ट्रपति के समर्थक सैनिक क्रांति की निंदा कर रहे हैं और नाइजर की राजधानी नियामे में उनकी रिहाई के लिए उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सैनिक प्रवक्ता के अनुसार राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौम और उनके परिजन सुरक्षित हैं।

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाइजर की सैनिक क्रांति की निंदा की है और कहा है कि अमेरिका पहले की भांति निर्वाचित सरकार का ही समर्थन करता रहेगा। वहीं नाइजर की सेना ने अपने देश की सीमाओं को सील कर दिया है। अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद नामक नए संगठन की ओर से नाइजर में सैनिक क्रांति और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है। जो सैनिक अधिकारी इस क्रांति के प्रमुख हैं उनका नाम कर्नल मेजर अमादौ अबद्रमाने है। उन्होंने कहा है कि हमने अर्थात् सेना और सुरक्षाबलों ने पुराने भ्रष्ट प्रशासन को खत्म करने का निर्णय किया है। उन्होंने सफाई दी है कि सेना ने प्रशासन अपने हाथ में लेने का फैसला देश में आर्थिक और सामाजिक बदहाली के कारण लिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को अपदस्थ किया गया है उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी।

सेना ने सभी संस्थाओं के प्रमुखों को भी तत्काल बर्खास्त करने की घोषणा की है। सेना ने कहा है कि किसी बाहरी हस्तक्षेप को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने नाइजर की सैनिक क्रांति की निंदा करते हुए कहा है कि हम इस असंवैधानिक परिवर्तन के खिलाफ

हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नाइजर में आए नए सत्तारूढ़ गुट से अनुरोध किया है कि वे तत्काल पूर्व राष्ट्रपति बाजौम को रिहा कर दें और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करें। इसके साथ ही कोई ऐसी कार्रवाई न करें जिससे देश में हिंसा भड़के।

फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार राजाधानी नियामे में सेना गश्त लगा रही है और जगह-जगह टैंक लगाए हुए हैं। सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन को अपने नियंत्रण में ले कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि सेना ने राष्ट्रपति से त्यागपत्र मांगा था। जब उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने से मना कर दिया तब सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

अवधनामा (28 जुलाई) के अनुसार राष्ट्रपति और उच्च सैनिक अधिकारियों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था। एएफपी के एक संवाददाता के अनुसार राष्ट्रपति भवन और राजधानी में सेना गश्त लगा रही है। मगर अभी तक किसी भी स्थान पर सेना और जनता के बीच झड़प होने की कोई सूचना नहीं है।

नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि सेना द्वारा ताकत से जनता की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटना निंदनीय है। उन्होंने सेना से अनुरोध किया है कि वे जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति को तत्काल रिहा कर दें। यूरोपीय यूनियन ने भी इस क्रांति की निंदा की है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम नियामे में स्थित अपने दूतावास से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि: कभी नाइजर ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। फ्रांस ने 1918 में पहले विश्वयुद्ध के बाद इस क्षेत्र पर कब्जा किया था और 1922 में इसे विधिवत रूप से फ्रांस का उपनिवेश घोषित कर दिया गया। 1946 में फ्रांस ने इस उपनिवेश को सीमित स्वतंत्रता प्रदान की। 23 जुलाई 1956 को फ्रांस की संसद ने इस देश को स्वशासी सरकार देने की घोषणा की और उसने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की। 4 अक्टूबर 1958 को फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीका के उपनिवेशों को यह अधिकार दिया कि वे जनमत संग्रह करके फ्रांस के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इसके बाद देश में हुए चुनाव में नाइजीरियन प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में आई। 1959 में नाइजर में संविधान सभा का गठन किया गया और हमनी दियोरी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बाद में उन्होंने नाइजर की अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री का पद संभाला।

1960 में फ्रांस ने नाइजर को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी और 3 अगस्त 1960 को नाइजर ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 15 अप्रैल 1974 में लेफ्टिनेंट कर्नल सेनी कोंचे ने सैनिक क्रांति करके दियोरी सरकार का तख्ता पलट कर उन्हें कैद कर लिया। कैद में ही अप्रैल 1989 में उनकी मौत हो गई। बाद में जनाक्रोश के कारण नाइजर की सेना को 1993 में देश में चुनाव करवाने पड़े और सिविलयन सरकार सत्ता में आई। 1999 में तंदजा ममदौ राष्ट्रपति बने। जुलाई 2004 में वे पुन: राष्ट्रपति चुने गए। 2007 में नाइजर में एक असंतुष्ट गुट एमएनजे अस्तित्व में आया और इसके बाद इस देश में गृहयुद्ध शुरू हो गया। 2009 में नाइजर में जमकर गृहयुद्ध हुआ, क्योंकि

इस देश में यूरेनियम के प्रचुर मात्रा में भंडार मिले हैं। विश्व के अनेक बड़े देशों की नजर नाइजर पर लगी हुई है। 2009 में ही सेना और विद्रोहियों के बीच शांति समझौता हुआ। जब नाइजर के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति तंदजा को तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद के लिए जनमत संग्रह करने की अनुमति नहीं दी तो उन्होंने संसद को ही भंग कर दिया और नाइजर में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। सेना ने फरवरी 2010 में सत्ता संभालकर राष्ट्रपति तंदजा को जेल में डाल दिया और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। बाद में सेना ने जनता के दबाव के कारण देश में जनमत संग्रह करवाया। इसके बाद देशव्यापी चुनाव हुए और महम्मदौ इस्सौफौ राष्ट्रपति चुने गए। 2021 में मोहम्मद बाजौम राष्ट्रपति बने। अब बाजौम को सेना ने सत्ता से हटा दिया है।

इजरायल में न्यायिक सुधार विधेयक पारित

रोजनामा सहारा (25 जुलाई) के अनुसार जनता के भारी विरोध के बावजूद इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को सीमित करने से संबंधित न्यायिक सुधार विधेयक को संसद से पारित करवा लिया है। मीडिया के अनुसार इस विधेयक के पक्ष में सत्तारूढ़ गठबंधन के 64 सांसदों ने मत दिए। जबकि विपक्ष ने मतदान का बहिष्कार किया। इस विधेयक के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित कानूनों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इजरायल के विपक्षी दलों ने इस विधेयक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। जब संसद में इस विधेयक पर मतदान हो रहा था तो संसद के बाहर इजरायली जनता ने प्रदर्शन किया। इजरायली पुलिस ने 70 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है।

गौरतलब है कि पिछले छह महीने से इजरायल की जनता नेतन्याहू सरकार के इस विवादित विधेयक का विरोध कर रही है। नेतन्याहू ने जनवरी महीने में इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में कटौती करने के लिए यह विधेयक लाने की घोषणा की थी। तब से इजरायली जनता हर सप्ताह शनिवार को इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस कानून के अनुसार अब इजरायल की सर्वोच्च न्यायालय को

संसद द्वारा पारित किसी भी कानून में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अमेरिका ने इस विधेयक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। इजरायली अखबार यरुशलम पोस्ट के अनुसार इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद के वर्तमान प्रमुख और छह अन्य सेवानिवृत्त प्रमुखों ने इस विधेयक का विरोध किया है। मोसाद के वर्तमान निदेशक डेविड बरनिया ने कहा है कि सरकार गलत रास्ते पर जा रही है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। मोसाद के पूर्व प्रमुखों ने नेतन्याहू सरकार से मांग की थी कि वे अपनी जिद को छोड़कर जनता से समझौता करें और कोई रास्ता निकालें। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अपनी जिद के कारण इजरायल की बहादुर जनता को टुकड़ों में बांट रहे हैं। गौरतलब है कि इजरायल के पुलिस प्रमुख पहले ही इस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे चुके हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (27 जुलाई) के अनुसार इस विवादित कानून के पारित होने के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए हजारों इजरायली डॉक्टरों ने एक दिन की हड़ताल की है। जबकि इजरायल के न्यायाधीशों ने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि इस कानून से चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जोकि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इजरायल के दो दर्जन मानवाधिकार संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इस काले कानून को रद्द करने की मांग की है। इस कानून के पारित होने के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। इजरायल के प्रमुख शहर तेल अवीव में एक लाख से अधिक लोगों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यरुशलम में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इजरायल के मजदूर संगठनों ने इस विधेयक के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा की है। प्रदर्शनकारियों में महिलाओं की बड़ी संख्या है। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल की ट्रेन व्यवस्था को भी ठप करने का प्रयास किया और कई ट्रेनों को रोक दिया। प्रमुख नगर हाइफा में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर धरना देकर आवागमन को बाधित कर दिया। विरोध करने वाले नेताओं का कहना है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं और मुकदमों से बचने के लिए उन्होंने यह कानून पारित करवाया है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ कोई मुकदमा न चलाया जा सके। इजरायली सेना के दस हजार से अधिक रिजर्व सैनिकों ने यह घोषणा की है कि वे भविष्य में इजरायल को अपनी सैनिक सेवाएं नहीं देंगे। उनकी इस घोषणा का समर्थन इजरायली सुरक्षा संगठनों और सेना के एक सौ से अधिक उच्च अधिकारियों ने भी किया है और कहा है कि नेतन्याहू इजरायल और यहूदी कौम को तबाह करने पर तुले हुए हैं। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लोकतंत्र में सेना सरकार के अधीन होती है। जो इजरायली रिजर्व सैनिक देश को भविष्य में सैनिक सेवा न देने की घोषणा कर रहे हैं वे देशद्रोही हैं और उनके खिलाफ कानूनी तरीके से निपटा जाएगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 जुलाई) ने कहा है कि इजरायली के सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा है कि संसद ने जो कानून पारित किया है, उससे इजरायली सेना के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इजरायल की आर्मी रेडियो ने यह घोषणा की है कि सेना ऐसे रिजर्व सैनिकों को गिरफ्तार करेगी, जिन्होंने न्यायिक संशोधन विधेयक के विरोध में सैनिक सेवाएं न देने की घोषणा की हैं।

सियासत (19 जुलाई) के अनुसार इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता येर लापिड ने कहा है कि जेल जाने से बचने के लिए नेतन्याहू यहूदी कौम और इजरायल को तबाही की ओर धकेल रहे हैं। हम न्यायपालिका को कमजोर करने की किसी भी योजना का डटकर विरोध करेंगे। इजरायली सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने रक्षा मंत्री से मुलाकात करके उन्हें सेना में बढ़ते हुए असंतोष के बारे में सूचित किया है। संवाद समिति एपी के अनुसार इजरायल के चार हजार से अधिक रिजर्व सैनिकों और अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय को पत्र भेजकर यह स्पष्ट किया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर सैनिक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होंगे। क्योंकि एक व्यक्ति की जिद के कारण जो कुछ हो रहा है वह इजरायल के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के लिए भारी खतरा है। हमें किसी व्यक्ति विशेष के हितों की बजाय देश के हितों की ज्यादा चिंता है।

सूडान में फिर से गृहयुद्ध भड़का

इत्तेमाद (16 जुलाई) के अनुसार सूडान के पश्चिमी क्षेत्र दारफुर में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) के बीच हुई खूनी झड़पों में कम-से-कम 16 लोग मारे गए हैं। वकीलों की यूनियन ने कहा है कि पड़ोसी देश चाड के सीमावर्ती क्षेत्रों में सूडानी सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच अंधाधुंध गोलीबारी चल रही है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और 20 हजार लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ी है। गौरतलब है कि अप्रैल महीने से सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान के सैनिकों और उनके पूर्व उप सेनापति मोहम्मद हमदान दगालो के अर्द्धसैनिक बलों (आरएसएफ) के बीच जंग जारी है। सऊदी अरब के प्रयास से दोनों गुटों के बीच जो युद्ध विराम हुआ था वह अब टूट गया है।

इत्तेमाद (13 जुलाई) के अनुसार ओमडुरमैन नामक नगर में दोनों गुटों के बीच हुई अंधाधुंध गोलाबारी में कम-से-कम 34 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में अधिकांश व्यापारी, आम नागरिक और बच्चे शामिल हैं। सेना ने दावा किया है कि उनकी कार्रवाई के बाद आरएसएफ के आक्रमणकारी वहां से भाग गए हैं। सेना ने यह भी दावा किया है कि उसने विद्रोहियों के अड्डों पर हवाई हमले भी किए हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। दोनों गुट एक दूसरे को शांति वार्ता भंग करने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। सूडानी सेना पश्चिम की ओर बढ़ रही है। हालांकि सूडानी सेना ने इस बात का खंडन किया है कि उसने सैनिक क्षेत्रों पर हवाई हमले किए हैं। सेना का कहना है कि इन हमलों के लिए आरएसएफ दोषी है। अब तक ओमडुरमैन में 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार सूडान के हाल के गृह युद्ध में तीस लाख लोग बेघर हुए हैं और पांच हजार से अधिक लोग मारे गए हैं।

हमारा समाज (24 जुलाई) के अनुसार सूडान के अधिकांश भागों में खाद्यान्न न मिलने के कारण कई लोग भूख से मारे गए हैं। भीड़ दुकानों और गोदामों में लूटपाट कर रही है। सरकार ने चार महीने से अपने किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया है। सेना ने आरोप लगाया है कि

विद्रोहियों ने खाद्यान के अनेक भंडारों को तबाह कर दिया है, जिसके कारण देश में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है।

इत्तेमाद (16 जुलाई) के अनुसार पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। खार्तूम के कई क्षेत्रों में दोनों गुटों में जंग जारी है और सैनिक मुख्यालय के समीप गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ रही है। सेना और अर्धसैनिक बल एक दूसरे के खिलाफ हर तरह के हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन और लड़ाकू विमानों का भी जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सूत्रों के अनुसार पूरी मेडिकल व्यवस्था ठप हो गई है और घायलों को मेडिकल सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। देश के कई भागों में हैजा और अन्य बिमारियां फैल गई हैं, जिससे कई लोग मारे गए हैं। पूरे देश में परिवहन और व्यापारिक व्यवस्था भी ठप है।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 जुलाई) के अनुसार सूडानी सेना ने यह घोषणा की है कि एक विमान दुर्घटना में कम-से-कम चौदह सैनिकों सहित 19 लोग मारे गए हैं। सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ रॉकेटों से हमले कर रहे हैं।

ईरान पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी सेना तैनात

हमारा समाज (22 जुलाई) के अनुसार ईरान की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में और अधिक सैनिकों और लड़ाकू विमानों को भेजने का फैसला किया है, ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की ओर से अमेरिकी जलयानों को पकड़ने और उन्हें तबाह करने के प्रयासों को विफल बनाया जा सके। अमेरिका ने घोषणा की है कि इस सप्ताह के अंत तक एफ-16 विमानों का नया समुद्री बेड़ा खाड़ी क्षेत्र में भेजा जाएगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि रूस, ईरान और सीरिया के बीच जिस तरह से सैनिक संबंध बढ़ रहे हैं, वह अमेरिका के लिए भारी खतरा है। ये तीनों देश मिलकर अमेरिका को सीरिया से बाहर निकालना चाहते हैं। अमेरिका ने एफ-22 रैप्टर लड़ाकू विमान को भी इस क्षेत्र में भेजने का फैसला

किया है, ताकि अमेरिकी जलयानों को एयर कवर उपलब्ध करवाया जा सके।

सियासत (22 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी संवाद समिति एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूएसएस बाटन, रेडिनेस ग्रुप एवं 26 मरीन यूनिट को खाड़ी क्षेत्रों में तैनात करने की मंजूरी दी है। इस रेडिनेस

ग्रुप में तीन जलयान शामिल हैं, जिनमें हमला करने वाला जहाज बाटन भी शामिल है। इस जलयान से अमेरिकी वायु सेना के जहाज किसी भी निशाने पर हमला कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने ढ़ाई हजार से अधिक नौ सैनिकों को भी इस क्षेत्र में तैनात करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह फैसला ईरान की ओर से अमेरिकी जलयानों पर हमलों को रोकने के लिए किया गया है।

गौरतलब है कि ईरान ने इस महीने के शुरू में होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका के दो ऑयल टैंकरों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी और उनमें से एक पर हमला भी किया था। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार अमेरिकी जलयानों को इस क्षेत्र में इसलिए भेजा गया है ताकि जलपोतों को विमानों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा सके और ईरान की बढ़ती हुई सैनिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी सेना को इसलिए भेजा गया है ताकि हम अपने सहयोगी देशों को ईरान के हमलों से बचा सकें और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मार्ग को ईरान के दबाव से मुक्त किया जा सके।

ईरान द्वारा इजरायली जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा

हमारा समाज (26 जुलाई) के अनुसार ईरान के गुप्तचर मंत्रालय ने यह दावा किया है कि उसने ईरान के पांच प्रांतों में मोहर्रम के जुलूसों पर हमला करने की योजना बनाने वाले इजरायली आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 43 बम भी बरामद किए गए हैं, जोकि इजरायल के बने हुए हैं। ईरान की सरकारी संवाद समिति मेहर की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार तेहरान, केर्मान, इस्फहान, कुर्दिस्तान और मजांदारन क्षेत्र से इजरायल के आतंकियों के एक गिरोह को पकड़ा गया है। इस गिरोह में दो दर्जन से अधिक लोग शामिल थे। गौरतलब है कि महसा अमीनी की मौत की पहली बरसी के मौके पर ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज होने की संभावना है।

सरकारी बयान में यह दावा किया गया है कि आतंकियों के जिस गिरोह को गिरफ्तार किया गया है वे डेनमार्क और नीदरलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने इजरायल में विध्वंसक गतिविधियों और बम बनाने का प्रयास किया था। इजरायल इस नेटवर्क को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। ईरानी सरकार के अनुसार यह गिरोह कासिम सुलेमानी की कब्र को उड़ाने की योजना बना रहा था, जिन्हें 2020 में बगदाद में मार दिया गया था। यह गिरोह सार्वजनिक स्थानों, गैस स्टेशनों और आवागमन के साधनों को विशेष रूप से निशाना बनाने की योजना बना रहा था।

ईरान में हिजाब को लागू करने का नया अभियान

रोजनामा सहारा (17 जुलाई) के अनुसार ईरान सरकार ने हिजाब को ईरानी महिलाओं पर सख्ती से लागू करने के लिए नया अभियान शुरू करने की घोषणा की है। पुलिस प्रवक्ता जनरल सईद मुंतजिर अल-मेहदी ने कहा है कि मोरल पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर गैर-शरिया लिबास पहनने वाली महिलाओं को गिरफ्तार करने का काम पुनः शुरू कर रही है। तेहरान की सड़कों पर मोरल पुलिस की गाड़ियां फिर से दिखाई देने लगी हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में जो राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए थे, उसमें कम-से-कम एक हजार से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए थे और 50 हजार से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसके बावजूद महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा था। इन प्रदर्शनों की विश्व भर में जो निंदा हुई थी, उसके बाद दबाव में आकर ईरानी प्रशासन ने मोरल पुलिस को सड़कों से हटा लिया था और यह घोषणा की गई थी कि उन्होंने मोरल पुलिस को भंग कर दिया है। मोरल पुलिस का गठन शरिया कानूनों को लागू करने के लिए किया गया था। ईरान सरकार ने यह दावा किया था कि महिलाओं के इस आंदोलन के पीछे विदेशी हाथ है, जोकि ईरान की इस्लामी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 जुलाई) के अनुसार ईरान ने अपनी मोरल पुलिस को दोबारा सक्रिय करने की घोषणा की है और उसने ईरान के विभिन्न नगरों में गैर-शरिया लिबास पहनने वाली महिलाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल एक 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी को कथित तौर पर ठीक से हिजाब न पहनने के कारण पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ जो उग्र प्रदर्शन हुए और उसकी विश्व भर में जो प्रतिक्रिया हुई, उसके दबाव में आकर ईरान सरकार ने मोरल पुलिस को भंग कर दिया था। मगर अब उसे पुनः सक्रिय कर दिया गया है।

गौरतलब है कि ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद महिलाओं के लिए हिजाब और शरिया लिबास पहनना अनिवार्य घोषित किया गया था। अमेरिका की टेनेसी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सईद गोलकर के अनुसार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान तीन स्तंभों पर टिका हुआ है, जिनमें मोरल पुलिस, यहूदी दुश्मनी और अमेरिकी विरोध शामिल हैं। ईरान इस नीति में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ईरान के एक बुद्धिजीवी ने अल-अरेबिया को बताया कि मोरल पुलिस को दोबारा लागू करना ईरान की मजबूरी है, क्योंकि वह अपने आप को गैर-इस्लामिक देश जाहिर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ईरान में रजा शाह पहलवी के शासनकाल में ईरानी समाज पर पश्चिमी संस्कृति का भारी प्रभाव था। जब ईरान के शाह का तख्ता पलटकर कट्टरपंथी सत्ता में आए तो उन्होंने सख्ती से शरिया कानूनों को लागू करना शुरू किया, क्योंकि इस्लामिक जगत में अपनी धार्मिक छवि को चमकाने के लिए यह बेहद जरूरी था। ईरान में जो लोग इस समय सत्तारूढ़ हैं वे कट्टरवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं। इसलिए वे शरिया कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं। यही कारण है कि विश्व के जनमत की उपेक्षा करके ईरान में मोरल पुलिस को पुनः सक्रिय किया गया है। देखना यह है कि ईरान की महिलाएं और किशोरियां इन नए प्रतिबंधों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

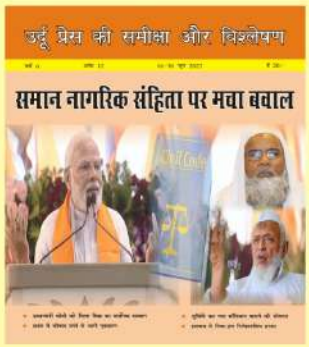

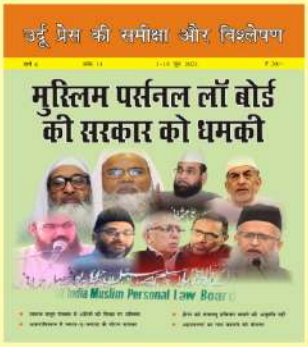

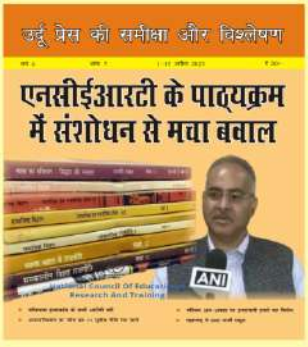

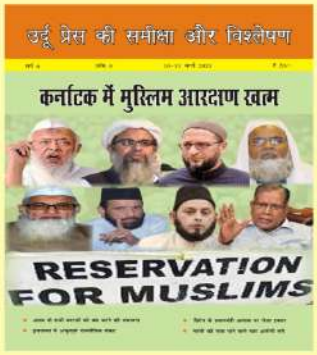

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in